भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2420

उत्तर देने की तारीख : 10.12.2024

सार्वजनिक भवनों में प्रवेश

2420. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सुगम्य भारत अभियान के तहत सार्वजनिक भवनों को विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) क्या सरकार सार्वजनिक भवनों का नियमित प्रवेश संबंधी संपरीक्षा करती है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सुगम्य भारत अभियान के तहत, केंद्र सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के स्वामित्व वाले 1671 सार्वजनिक भवनों की सुगम्यता लेखा परीक्षा की थी और उसके आधार पर 1314 भवनों को सुगम्य बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इसके अलावा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के स्वामित्व वाले 211 भवनों और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा रखरखाव किए जाने वाले अन्य विभागों/मंत्रालयों के 889 भवनों का नवीनीकरण (रट्रोफिटिंग) भी किया है।

(ख) से (ग): चूंकि 'राज्य में निहित या उसके अधिकार क्षेत्र में मौजूद निर्माण, भूमि और भवन' राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सुविधा के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने 59 सुगम्य ऑडिटर/ऑडिटिंग फर्मों को सूचीबद्ध किया है और उनके विवरण प्रकाशित किए हैं तथा उक्त सूची सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य मंत्रालयों/विभागों को भी भेजी गई है। उपयुक्त प्राधिकारी इन सूचीबद्ध ऑडिटर/फर्मों की सेवाएं सीधे प्राप्त करते हैं।

*****